**राजस्थान सरकार**
**उद्यान आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर**

क्रमांकः प. 9 (118) आ.उ./पीएम कुसुम/जीएल/2024–25/2854–3011 दिनांकः– 07/10/2024

**समस्त उप निदेशक उद्यान ..............................**

**विषयः–**''प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM KUSUM)'' योजना के कम्पोनेंट– बी अन्तर्गत स्टेण्ड अलोन सौर ऊर्जा पम्प सयंत्र स्थापना हेतु वर्ष 2024–25 के दिशा–निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ''प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM KUSUM)'' कम्पोनेंट–बी स्टेण्ड अलोन सौर ऊर्जा पम्प सयंत्र स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 के दिशानिर्देश एवं जिलेवार लक्ष्यों का आवंटन संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। यह कार्यक्रम बजट घोषणा के तहत स्वीकृत है अतः लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निम्नानुसार स्वीकृति प्रकिया अपनाकर लक्ष्यों की पूर्ति किया जाना सुनिश्चित करावें:–

1. माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विशेष अभियान के तहत वितरित स्वीकृतियों के पम्प संयंत्र की प्राप्ति वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु आवंटित लक्ष्यों से की जावेगी।
2. वित्तीय वर्ष 2024–25 की बजट घोषणा की प्राप्ति किये जाने हेतु सितम्बर, 2024 तक प्राप्त सभी आवेदनों को स्वीकृत/निस्तारण किया जावें। सितम्बर, 2024 तक प्राप्त आवेदनों में आवेदन पत्रावली पूर्ण होने पर किसी भी वरियता पर उपलब्ध पत्रावली को स्वीकृत किया जा सकेगा।
3. सितम्बर, 2024 तक प्राप्त आवेदन स्वीकृत किये जाने के उपरांत भी यदि किसी जिलें में लक्ष्य शेष रह जाते है तो सितम्बर, 2024 के बाद प्राप्त आवेदनों का ''पहले आओ पहले पाओं'' FIFO प्रणाली से निस्तारण/स्वीकृत कर लक्ष्यों की सीमा तक प्राप्ति सुनिश्चित करें।

अतः संलग्न योजना दिशानिर्देशों की पालना करते हुये निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति किया जाना सुनिश्चित करावें।

**संलग्नः–** दिशानिर्देश।

**(सुरेश कुमार ओला)**
**आयुक्त उद्यानिकी,**
**राजस्थान, जयपुर**

क्रमांकः प. 9 (118) आ.उ./पीएम कुसुम/जीएल/2024–25/2854–3011 दिनांकः– 07/10/2024

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–**

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (ऊर्जा), राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी (समस्त जिले)
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
7. लीड बैंक अधिकारी ......................जिला ................................
8. समस्त खण्डीय अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार ...........................
9. समस्त खण्डीय संयुक्त निदेशक उद्यान ...........................
10. समस्त संयुक्त निदेशक, कृषि विस्तार (जिला परिषद) .........
11. समस्त सहायक निदेशक कृषि (वि.) .................
12. आरक्षी पत्रावली/ फर्म ....... ।

Signature valid
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.10.07 17:25:40 IST
Reason: Approved

**आयुक्त उद्यानिकी,**
**राजस्थान, जयपुर**

## ''प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM KUSUM)
## स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा पम्प परियोजना (कम्पोनेन्ट 'बी')''
## दिशानिर्देश वर्ष 2024–25

**1. प्रस्तावनाः–**

राज्य मे सौर ऊर्जा की अपार सम्भावना को ध्यान में रखते हुये उद्यान विभाग द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), भारत सरकार की *''प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM KUSUM)''* कम्पोनेंट 'बी' अन्तर्गत कृषकों को हाईटेक उद्यानिकी/कृषि कार्य के लिए सिंचाई हेतु 3 से 7.5 एचपी पम्प क्षमता तक स्टैंण्ड अलोन सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराये जायेगे। यह परियोजना प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM KUSUM) तथा राज्य योजना के तहत् क्रियान्वित की जावेगी।

योजना का उद्देश्य जिन कृषकों के पास सिंचाई हेतु कृषि विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं है एवं सिंचाई के लिये डीजल चलित संयंत्र अथवा अन्य ऑफ ग्रिड वैकल्पिक साधन पर निर्भर है, उन्हें सिंचाई हेतु सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र अनुदान पर उपलब्ध करवाये जायेगें।

**2. कृषक चयन पात्रताः–**

1. कृषक द्वारा कृषि एवं उद्यानिकी फसलों में सिचांई हेतु ड्रिप/मिनि स्प्रिकंलर/माइक्रो स्प्रिकंलर/स्प्रिकंलर संयंत्र आवश्यक रूप से काम में लिया जावें।
2. उच्च उद्यानिकी तकनीक यथा ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस्/लो–टनल्स आदि लेने वाले कृषक भी पात्र होगे।
3. कृषक द्वारा जलस्त्रोत होने व डीजल चलित संयंत्र से सिंचाई करने का स्वःघोषित शपथ–पत्र प्रस्तुत करने पर, योजना हेतु पात्र माना जायेगा (संलग्नक–1)।
4. ऑफ ग्रिड विद्युत कनेक्शन विहिन कृषक द्वारा उसके भू–स्वामित्व में सिचांई हेतु जल संग्रहण ढांचा, डिग्गी, फार्म पौण्ड व जलहौज निर्मित हो तो, कृषक द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत करने पर योजना हेतु पात्र माना जावेगा।
5. योजना मे यथासम्भव लघु एवं सीमान्त कृषकों को प्राथमिकता दी जावें।
6. जिन कृषकों के पास कृषि विद्युत कनेक्शन है या सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र परियोजना अन्तर्गत अनुदान प्राप्त कर लिया है। ऐसे कृषक इस योजनान्तर्गत पात्र नही होगे।

**3. सौर पम्प संयंत्र हेतु आवश्यक भू–स्वामित्व**

1. कृषक के पास न्यूनतम 0.4 है0 का भू–स्वामित्व होना आवश्यक है।
2. अधिसूचित अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के जनजाति कृषको हेतु 3 व 5 एचपी क्षमता के पम्प संयंत्रों हेतु न्यूनतम 0.2 है0 का भू–स्वामित्व होना आवश्यक है।

(दानवीर वर्मा)
निदेशक उद्यान (मुख्यालय)
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

3. कार्यदायी फर्म द्वारा तकनीकी सर्वे के आधार पर पम्प क्षमता का निर्धारण किया जायेगा। तकनीकी सर्वे अनुसार कृषक द्वारा आवेदित पम्प क्षमता में बदलाव किया जा सकेगा।

## 4. सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र हेतु प्राथमिकता का निर्धारण, पत्रावलियों को पूर्ण करना एव संचालन प्रकिया :–

1. कृषकों द्वारा राजकिसान साथी पोर्टल पर ई–मित्र या स्वयं की एसएसओ आईडी द्वारा आवेदन किया जायेगा। प्राप्त आवेदनों का ऑनलाईन निस्तारण किया जायेगा।
2. राजकिसान साथी पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की छंटनी जिला कार्यालयों द्वारा ऑनलाईन ही की जावेगी।
3. लाभान्वित कृषकों की सूची जिला कार्यालय द्वारा सम्बन्धित विद्युत विभाग को भेजी जावेगी एवं भविष्य में उन्हे कृषि विद्युत कनेक्शन स्थापना पर अनुदान देय नही होगा।
4. कृषक, जिनके पास वर्तमान में कृषि विद्युत कनेक्शन है/पूर्व में सौर पम्प परियोजना अन्तर्गत अनुदान प्राप्त कर लिया है, उन्हें सौर उर्जा पम्प सयंत्र स्थापना पर अनुदान देय नही होगा।

## 5. अनुदान हेतु ऑनलाईन आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूचीः–

1. कृषक का जनआधार कार्ड।
2. भूमि की जमाबंदी या पासबुक की प्रतिलिपि (भू–स्वामित्व)
3. सिंचाई जल स्त्रोत व कृषि विद्युत कनेक्शन न होने का शपथ (संलग्नक– 1)

## 6. चयनित जिले एवं लक्ष्यः–

वित्तीय वर्ष 2024–25 की बजट घोषणा के तहत 1 लाख सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र लगाये जाने है जिनमें से विशेष अभियान के तहत स्वीकृत को सम्मिलित करते हुये सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापना के लक्ष्य रखे गये है जिसका जिलेवार आवंटन इस प्रकार हैः–

**PM KUSUM Component-B Solar Pump Set Targets Year 2024-25**

| S.N0 | District Name | Sanctioned in Abhiyan | Pending Applications (Date 20/9/2024) | Total Targets (Sanctioned in Abhiyan + New targets ) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | GEN | SCP | TSP | Total |
| 1 | Ajmer | 781 | 890 | 1080 | 500 | 20 | 1600 |
| 2 | Alwar | 123 | 62 | 70 | 10 | 120 | 200 |
| 3 | Anoopgarh | 3661 | 3680 | 5500 | 1500 | 0 | 7000 |
| 4 | Balotara | 209 | 161 | 290 | 50 | 10 | 350 |
| 5 | Banswara | 1603 | 3845 | 3980 | 20 | 3000 | 7000 |
| 6 | Baran | 135 | 197 | 160 | 40 | 100 | 300 |
| 7 | Barmer | 391 | 419 | 600 | 150 | 50 | 800 |
| 8 | Beawar | 212 | 138 | 200 | 90 | 10 | 300 |
| 9 | Bharatpur | 36 | 33 | 78 | 10 | 12 | 100 |
| 10 | Bhilwara | 759 | 480 | 750 | 300 | 150 | 1200 |
| 11 | Bikaner | 4000 | 3662 | 5607 | 1365 | 28 | 7000 |
| 12 | Bundi | 2135 | 978 | 2100 | 200 | 700 | 3000 |

(दानबीर वर्मा)
निदेशक उद्यान (मुख्यालय)
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Chittorgarh | 582 | 459 | 750 | 150 | 100 | 1000 |
| 14 | Churu | 4417 | 2165 | 4730 | 1200 | 70 | 6000 |
| 15 | Dausa | 613 | 422 | 400 | 100 | 500 | 1000 |
| 16 | Deeg | 47 | 58 | 85 | 10 | 5 | 100 |
| 17 | Dholpur | 156 | 16 | 100 | 20 | 50 | 170 |
| 18 | Didwana-Kuchaman | 698 | 373 | 700 | 250 | 50 | 1000 |
| 19 | Dudu | 573 | 257 | 520 | 200 | 80 | 800 |
| 20 | Dungarpur | 938 | 1217 | 380 | 20 | 1600 | 2000 |
| 21 | Gangapur city | 30 | 74 | 10 | 20 | 200 | 230 |
| 22 | Hanumangarh | 2622 | 8714 | 7990 | 1500 | 10 | 9500 |
| 23 | Jaipur | 8975 | 4136 | 6600 | 1700 | 1700 | 10000 |
| 24 | Jaisalmer | 634 | 3404 | 2700 | 600 | 200 | 3500 |
| 25 | Jalore | 293 | 173 | 280 | 100 | 20 | 400 |
| 26 | Jhalawar | 120 | 118 | 160 | 20 | 20 | 200 |
| 27 | Jhunjhunu | 111 | 334 | 380 | 50 | 20 | 450 |
| 28 | Jodhpur | 55 | 87 | 110 | 20 | 0 | 130 |
| 29 | Karauli | 94 | 54 | 110 | 20 | 120 | 250 |
| 30 | Kekri | 504 | 572 | 560 | 200 | 40 | 800 |
| 31 | Khairthal-Tijara | 17 | 32 | 30 | 15 | 5 | 50 |
| 32 | Kota | 95 | 110 | 100 | 10 | 40 | 150 |
| 33 | Kotputli-Behror | 218 | 173 | 240 | 50 | 60 | 350 |
| 34 | Nagaur | 456 | 416 | 650 | 150 | 0 | 800 |
| 35 | Neem Ka Thana | 145 | 176 | 230 | 50 | 20 | 300 |
| 36 | Pali | 363 | 614 | 150 | 150 | 500 | 800 |
| 37 | Phalodi | 79 | 159 | 160 | 30 | 10 | 200 |
| 38 | Pratapgarh | 1255 | 2300 | 1870 | 100 | 1000 | 2970 |
| 39 | Rajsamand | 304 | 85 | 170 | 70 | 110 | 350 |
| 40 | Salumber | 166 | 323 | 40 | 10 | 400 | 450 |
| 41 | Sanchore | 3032 | 1194 | 3950 | 1000 | 50 | 5000 |
| 42 | Sawai Madhopur | 907 | 303 | 300 | 100 | 1100 | 1500 |
| 43 | Shahpura | 623 | 291 | 350 | 200 | 250 | 800 |
| 44 | Sikar | 1836 | 1141 | 2050 | 400 | 50 | 2500 |
| 45 | Sirohi | 633 | 676 | 630 | 200 | 570 | 1400 |
| 46 | Sri Ganganagar | 4476 | 5930 | 8000 | 2000 | 0 | 10000 |
| 47 | Tonk | 2016 | 1499 | 1150 | 1000 | 850 | 3000 |
| 48 | Udaipur | 1423 | 1475 | 1950 | 50 | 1000 | 3000 |
| | **Total** | **53551** | **54075** | **69000** | **16000** | **15000** | **100000** |

परियोजना अन्तर्गत भारत सरकार से अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त होने की स्थिति में तथा योजना की प्रगति प्राप्त करने हेतु लक्ष्य परिवर्तित किये जा सकेंगें।

(दानबीर वर्मा)
निदेशक उद्यान (मुख्यालय)
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

## 7. पम्प क्षमता निर्धारण व तकनीकी मापदण्ड

1. कृषक के पास न्यूनतम 0.4 है0 का भू–स्वामित्व होना आवश्यक है।
2. अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के जनजाति कृषको हेतु 0.2 है0 का भू–स्वामित्व होना आवश्यक है।
3. तकनीकी सर्वे के आधार पर पम्प क्षमता व प्रकार का निर्धारण किया जायेगा। तकनीकी सर्वे अनुसार कृषक द्वारा आवेदित पम्प क्षमता में बदलाव किया जा सकेगा।
4. संयंत्रो के तकनीकी मापदण्ड एवं विभिन्न पम्पस् वांछित जल डिस्चार्ज मापदण्ड एमएनआरई के नवीनतम दिशा–निर्देशानुसार (स्कोप ऑफ वर्क) के अनुसार रहेगें।

## 8. सूचीबद्व आपूर्तिकर्त्ता फर्म

पीएम कुसुम कम्पोनेंट– बी सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापना के लिये निम्न फर्म अधिकृत है:–

| S.N. | Name of firms | Address |
|---|---|---|
| 1 | M/s Alpex Solar Limited | Plot No. I-25-26, Site-5, UPSIDC, Surajpur Industrial Area, Kasna, Greater Noida, Distt. Gautambudh Nagar (U.P.)- 201306 |
| 2 | M/s Australian Premium Solar (India) Limited | At & Post- Tajpur, N.H. 08, Ta. Prantij, District:- Sabarkantha, Gujarat- 383205 |
| 3 | M/s AVI Appliances Pvt Ltd with Consortium Member Ritika Systems Pvt. Ltd. | 65,66, Narayan Industrial Estate, Opp. Raipur Mill Compound, Saraspur, Ahmedabad - 380018 |
| 4 | M/s CRI Pumps Private Limited | 7/46-1 , Keeranatham Road , Saravanamapatti, Coimbatore - 641035 |
| 5 | M/s Crompton Greaves Consumer Electricals Limited with Consortium Member Claro Energy Private Limited | Tower-3, 1st Floor, Equinox Business Park, Lal Bhahadupr Shastri Rd, Kurla West, Mumbai, Maharashtra- 400070 |
| 6 | M/s Duke Pumping Solutions Private Limited with Consortium Member Desire Energy Solutions Pvt. Ltd. | N.H.No.27, Opp. Hotel Greenwood, Deesa Highway, Badarpura-Palanpur, 385510, Gujarat |
| 7 | M/s Dynamech Electropower Pvt. Ltd. | 55 & 56-A, Sector - H, Govindpura Industrial Area, Bhopal Madhya Pradesh -462023 |
| | M/s Dynamech Electropower Pvt Ltd with Consortium Member RAAJRATNA VENTURES LTD | 55 & 56-A, Sector - H, Govindpura Industrial Area, Bhopal Madhya Pradesh -462023 |
| 8 | M/s Ecozen Solutions Pvt Ltd | 301, Vaishnavi Apartment, Vijayanand Gruha Nirman Sahkari Sanstha, Narendra Nagar, Nagpur (Maharshtra)- 440015 |
| | M/s Ecozen Solutions Pvt. Ltd. with Consortium Member Icon Solar-EN Power Technologies Pvt. Ltd. | Survey No. 134/1, 134/2, 130/3, Dehu Road, Katraj Bypass, Tathawade, Pune - 411 033, Maharashtra, India |
| 9 | M/s G K Energy Marketers Pvt Limited with Consortium Member M/s Redren Energy Private Limited | Office No. 802, CTS, No. 97-A-1/57/2, Suyog Center, Pune City, Pune CB, Maharashtra- 411037 |
| 10 | M/s Goldi Solar Private Limited | 1009,10th Floor, Infinity Tower, Beside Ayurvedic College, Nr. Railway Station, Surat- 395003, Gujarat, India |
| | M/s Goldi Solar Private Limited with Consortium Member Pearl Energy Soluations India Private Limited | 1009,10th Floor, Infinity Tower, Beside Ayurvedic College, Nr. Railway Station, Surat- 395003, Gujarat, India |

(दानबीर वर्मा)
उप निदेशक उद्यान (मुख्यालय)
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

| | | |
|---|---|---|
| 11 | M/s Greenworld Solarwares Pvt Limited with Consortium Member M/s Lavent solar private limited | Nakti Road, Near PTS Mana Chowk, VIP Road, Dharampura, Raipur (CG)-492001 |
| 12 | M/s Jain Irrigation Systems Ltd. | Jain Plastic park, P.O. Box: 72, N.H. No. 6, Jalgaon- 425001 |
| 13 | M/s Kosol Energie Pvt Limited | " Kalthia house " 193 Satyagrah Chhavni, opposite Iscon mega mall, S G Highway, Ahmedabad-380015 Gujrat |
| 14 | M/s KSB Limited with Consortium Member M/s Younity Energy Pvt. Ltd. | Standard Pump Division, Plot No.- E3 & E4 - MIDC,SINNAR, NASIK, MAHARASHTRA - 422113 |
| | M/s KSB Limited with Consortium Member Ganesh Electricals Pvt Limited | E3 & E4 - MIDC,SINNAR, NASIK, MAHARASHTRA - 422113 |
| 15 | M/s KSL Cleantech Limited | 10 A, Middleton Row, 2nd floor, Kolkata- 700071 |
| 16 | M/s Latteys Industries Limited with Consortium Member M/s Amigo Energies | Plot No. 16, Phase1/2, GIDC Estate, Naroda, Ahmedabad-382330 Gujarat |
| 17 | M/s Mira Energy Resourses Pvt Ltd with Consortium Member SILVER CONSUMER ELECTRICALS PVT LTD | D1603, MARVEL ALBERO , KHADI MACHINE CHOWK, KONDHWA BK , PUNE 411048 |
| 18 | M/s Nobtech Enterprise with Consortium Member M/s Span Pumps Pvt. Ltd. | 129-C, Government Industrial Estate, Charkop, Kandivali West, Mumbai- 400067 |
| 19 | M/s Oswal Pumps Limited | Oswal Estate, NH-1, Kutail Rd, P.O, Kutail, Industrial area, Haryana 132037 |
| | M/s Oswal Pumps Limited with Consortium Member Sunrisers Solar Private Limited | Oswal Estate, NH-1, Kutail Rd, P.O, Kutail, Haryana 132037 FIRST FLOOR, FLAT NO-F-101,SR NO- 31,32,GODREJ PRANA,PUNE |
| 20 | M/s Paarth Solar Pumps Private Limited with Consortium Member M/s Shree Ganesh Irrigation systems | 22, Sanskar Industrial Hub- 2, Village Bakrol, Bujrang, Taluka-Daskroi, Ahmedabad- Gujarat- 382430 |
| 21 | M/s PV Power Technologies Pvt. Limited | B-907, Kanakia Wall Street, Chakala, Anderi kurla road, Andheri East, Mumbai- 400093 |
| 22 | M/s Rite Water Solutions (I) Ltd. with Consortium Member M/s. Mecwin Technologies India Pvt. Ltd. | K-60, M.I.D.C., Industrial Area, Hingna Road, Nagpur-440016, [MH] |
| 23 | M/s Rotomag Motors and Controls Pvt. Ltd | 2102/3 & 4, GIDC Vitthal Udhyog Nagar, Near Anand, Gujarat-388121 |
| 24 | M/s Shakti Pumps India Ltd | Plot No. 401,402 &413 Industrial Area Sector–3 Pithampur Distt. Dhar - 454774 (M.P.) |
| 25 | M/s Silver Consumer Electricals Pvt Ltd with Consortium Member M/s Mira Energy Resourses Pvt Ltd | Plot No. 3 of R.S. No 37 & 38, Plot No. 5 of 47/1, Plot No 1 of R.S No. 36 & 43 to 46, Plot No. 6 of 38 Rajkot, Haripar, Tarvada- Lodhika, Haripar, Taravada, Rajkot- Gujarat-360035 |
| 26 | M/s Solartive Techno Industries Pvt Ltd with Consortium Member M/s Greensol Renewable Power Pvt. Ltd. | K 312 Site 5 Kasna Industrial Area Kasna Greater Noida, Gautambudh Nagar UP- 201310 |
| 27 | M/s Surya International Enterprise Pvt Ltd | A- 24, HIG Duplex, Phase-2, Anant Vihar, Pokhariput, Bhubaneswar, Odisha, India- 751020 |
| 28 | M/s Topsun Energy Ltd | B-101, GIDC, Electronic Zone, Sector-25, Gandhinagar, Gujarat -382028 |
| 29 | M/s Sahaj Solar Ltd | 301, Ashirwad Paras, Corporate Road, Opp. Prahlad Nagar Garden, Satellite, Ahmedabad- 380015 |
| 30 | M/s Himalayan Solar Private Limited with Consortium Member M/s Apricate Power Pvt. Ltd. | Plot No. 237, HSIIDC Industrial Estate, Alipur, Barwala, Panchkula, Haryana-134118 |
| | Himalayan Solar Private Limited with Consortium Member DCC Buildcon Private Limited | Plot No. 237, HSIIDC Industrial Estate, Alipur, Barwala, Panchkula, Haryana-134118 |

(दानवीर वर्मा)
उप निदेशक उद्यान (मुख्यालय)
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

| 31 | M/s Everrenew Energy Private Ltd. with Consortium Member M/s Sova Solar Ltd. | 2nd Floor, B Block, Aneja Towers, Plot No. 4 & 5 Industrial Estate Perungudi, Chennai 600 096 Tamil Nadu |
|---|---|---|
| | Everrenew Eneergy Private Ltd with Consortium Member Mahendra Pumps Private Ltd | Aneja Towers, 2nd Floor, B-Wing, 4 & 5 Developed Industrial Estate Perungudi, OMR, Chennai 600 096 Tamil Nadu |
| 32 | M/s PCI Infra Projects Pvt. Ltd. with Consortium Member M/s VTECH Engineers | A-16F/F, Vivek Vihar PH II, Opp Main Market, Delhi, New Delhi- 110095 |

## 9. अनुदान

1. स्टेण्ड अलोन सौर ऊर्जा पम्प परियोजना अन्तर्गत पीएम कुसुम कम्पोनेंट– बी के तहत 60 प्रतिशत (30 प्रतिशत केन्द्रीय मद तथा 30 प्रतिशत राज्य मद) अनुदान देय होगा।
2. योजना के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कृषकों को राज्य मद से राशि रू. 45000/– प्रति कृषक प्रति संयंत्र अतिरिक्त अनुदान देय है।
3. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 7.5 एचपी क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों तक ही अनुदान का प्रावधान किया गया है यदि कृषकों द्वारा इससे अधिकतम क्षमता 10 एचपी तक का पम्प स्थापित कराया जाता है तो समस्त अन्तर राशि कृषक द्वारा वहन की जावेगी।
4. कृषक द्वारा कृषक हिस्सा राशि कुल लागत का शेष 40 प्रतिशत राशि कृषक द्वारा स्वयं वहन की जावेगी। कृषक द्वारा वहन की जाने वाली लागत की 40 प्रतिशत राशि में से 30 प्रतिशत तक की राशि का, कृषक बैंक ऋण भी प्राप्त कर सकता है।

## 10. आधार दरः–

पीएम कुसुम कम्पोनेंट– बी सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र की निर्धारित दरें एवं अनुदान निम्नानुसार है:–

| S.N. | Pump Category | Cost with GST | Subsidy | Farmer share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 HP AC Surface normal controller | 212064 | 114314 | 97750 |
| 2 | 3 HP DC Surface normal controller | 212064 | 114314 | 97750 |
| 3 | 3 HP AC Submercible normal controller | 215438 | 114314 | 101124 |
| 4 | 3 HP DC Submercible normal controller | 215438 | 114314 | 101124 |
| 5 | 3 HP AC Surface USPC controller | 247515 | 114314 | 133201 |
| 6 | 3 HP DC Surface USPC controller | 254912 | 114314 | 140598 |
| 7 | 3 HP AC Submercible USPC controller | 253205 | 114314 | 138891 |
| 8 | 3 HP DC Submercible USPC controller | 259352 | 114314 | 145038 |
| 9 | 5 HP AC Surface normal controller | 303485 | 176100 | 127385 |
| 10 | 5 HP DC Surface normal controller | 303485 | 176100 | 127385 |
| 11 | 5 HP AC Submercible normal controller | 305321 | 176100 | 129221 |
| 12 | 5 HP DC Submercible normal controller | 305321 | 176100 | 129221 |
| 13 | 5 HP AC Surface USPC controller | 355625 | 176100 | 179525 |
| 14 | 5 HP DC Surface USPC controller | 365867 | 176100 | 189767 |
| 15 | 5 HP AC Submercible USPC controller | 361429 | 176100 | 185329 |
| 16 | 5 HP DC Submercible USPC controller | 364160 | 176100 | 188060 |
| 17 | 7.5 HP AC Surface normal controller | 417577 | 238684 | 178893 |
| 18 | 7.5 HP DC Surface normal controller | 429456 | 238684 | 190772 |
| 19 | 7.5 HP AC Submercible normal controller | 420121 | 238684 | 181437 |
| 20 | 7.5 HP DC Submercible normal controller | 453322 | 238684 | 214638 |



(दानवीर वर्मा)
उप निदेशक उद्यान (मुख्यालय)
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 7.5 HP AC Surface USPC controller | 472839 | 238684 | 234155 |
| 22 | 7.5 HP DC Surface USPC controller | 488543 | 238684 | 249859 |
| 23 | 7.5 HP AC Submercible USPC controller | 476822 | 238684 | 238138 |
| 24 | 7.5 HP DC Submercible USPC controller | 483650 | 238684 | 244966 |
| 25 | 10 HP AC Submercible normal controller | 581239 | 238684 | 342555 |
| 26 | 10 HP DC Submercible normal controller | 581239 | 238684 | 342555 |
| 27 | 10 HP AC Submercible USPC controller | 628764 | 238684 | 390080 |
| 28 | 10 HP DC Submercible USPC controller | 628764 | 238684 | 390080 |

**11. अनुदान प्रकिया**

1. सोलर पम्प सेट हेतु नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से निर्धारित दरो पर अनुबंधित/सूचीबद्व फर्म द्वारा स्थापना पर ही अनुदान देय होगा।
2. कृषक द्वारा राजकिसान साथी पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन किया जावेगा। आपूर्तिकर्ता फर्म का चयन कृषक द्वारा किया जावेगा।
3. जिला उद्यान कार्यालय द्वारा राजकिसान साथी पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की जांच /छंटनी की जाकर पात्र कृषकों के आवेदन ऑनलाईन ही तकनीकी सर्वे हेतु सम्बन्धित फर्म को भेजे जायेगे।
4. फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कृषक के जलस्त्रोत का तकनीकी सर्वे कर आवश्यकतानुसार पम्प का कोटेशन व तकनीकी सर्वे राजकिसान साथी पोर्टल के माध्यम से किया जावेगा।
5. इसके साथ ही पांच सौ रूपये के स्टाम्प पर त्रि–पार्टी अनुबंध (संलग्नक– 3) कर पोर्टल पर स्केन किया जायेगा तथा मूल प्रति जिला कार्यालय में ऑफलाईन प्रस्तुत की जायेगी, जिसका संधारण जिला उद्यान कार्यालय स्तर पर किया जायेगा।
6. जिला कार्यालय द्वारा कृषक की ऑनलाईन प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जायेगी।
7. ऑनलाईन स्वीकृति जारी किये जाने के पश्चात कृषक द्वारा कृषक हिस्सा राशि राजकिसान साथी पोर्टल पर दिये लिंक अनुसार ही ई–मित्र या ECS/ DD के माध्यम से जिला होर्टिकल्चर डवलपमेंट सोसायटी (DHDS) के बैक खाते मे जमा करायी जायेगी।
8. कृषक द्वारा कृषक हिस्सा राशि जमा कराने के उपरांत जिला उद्यान कार्यालय द्वारा तत्काल ऑनलाईन ही नोटिस टू प्रोसिड (कार्यादेश) जारी किया जायेगा।
9. सम्बन्धित सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा सौर उर्जा पम्प संयंत्र की स्थापना कार्य नोटिस टू प्रोसिड अर्थात् कार्यादेश जारी होने के अधिकतम 120 दिवस मे सामग्री आपूर्ति कर स्थापना कार्य सम्पन्न करना होगा। निर्धारित अवधि में सामग्री आपूर्ति कर स्थापना कार्य सम्पन्न नही करने पर सम्बन्धित सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता फर्म पर नियमानुसार शास्ति कटौती की जावेगी।
10. फर्म द्वारा पम्प संयंत्र स्थापना कर राजकिसान साथी पोर्टल पर ही पम्प का विस्तृत विवरण यथा पैनल सीरियल क्रमांक, पम्प व कन्ट्रोलर नम्बर आदि अंकित किये जायेगें। फर्म द्वारा संयंत्र का बिल जारी कर स्केन किया जायेगा, साथ ही फर्म द्वारा संयंत्र का बीमा कराया जायेगा जिसकी प्रति ऑनलाईन पोर्टल पर स्केन की जायेगी।

(दानबीर वर्मा)
उप निदेशक उद्यान (मुख्यालय)
...कालय, जयपुर

11. जिला होर्टिकल्चर डवलपमेंट सोसायटी (DHDS) स्तर से संयंत्र स्थापना के 7 दिवस में संयंत्र का निर्धारित मोबाईल एप द्वारा भौतिक सत्यापन किया जायेगा।

12. कृषक हिस्सा एवं अनुदान राशि का भुगतान

1. **भुगतान** – उद्यान आयुक्तालय द्वारा सम्बन्धित् आपूर्तिकर्ता फर्म को 2 चरणों में किया जावेगा –

**(अ) प्रथम चरण में 90 प्रतिशत राशि का भुगतानः–** फर्म द्वारा कार्यादेश अनुसार सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र कृषक के खेत पर स्थापित किये जाने तथा विभागीय भौतिक सत्यापन कमेटी द्वारा सत्यापन किये जाने के पश्चात् जमा 40 प्रतिशत कृषक हिस्सा राशि जिला कार्यालय से तथा 50 प्रतिशत अनुदान राशि (30 प्रतिशत राज्य मद से + 20 प्रतिशत केन्द्रीय मद से) उद्यान आयुक्तालय स्तर से नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार भुगतान किया जावेगा।

**(ब) द्वितीय चरण में शेष 10 प्रतिशत राशि का भुगतानः–** फर्म द्वारा सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापित कर पीएम कुसुम पोर्टल पर 90 दिवस का ऑनलाईन डाटा उपलब्ध होने के पश्चात् नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार किया जावेगा।

13. जिला कार्यालय के दायित्वः–

1. सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र के भौतिक सत्यापन हेतु कोई भी एक अधिकारी (कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी/कृषि एवं उद्यान विभाग के उच्चतर अधिकारी) द्वारा, कृषक व फर्म प्रतिनिधि की उपस्थिति में भौतिक सत्यापन किया जावेगा। भौतिक सत्यापन किये जाने हेतु आवश्यकतानुसार कृषि विभाग के अधिकारियों का भी सहयोग लिया जा सकेगा।
2. सौर ऊर्जा पम्प सयंत्र के भौतिक सत्यापन के दौरान पम्प सयंत्र की चार फोटो यथा फाउन्डेशन, स्ट्रक्चर, कन्ट्रोलर तथा पानी डिस्चार्ज करते हुये पूर्ण सिस्टम कृषक के साथ राजकिसान साथी पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करावें।
3. जिला उद्यान कार्यालय द्वारा भौतिक सत्यापन उपरांत कार्यकारी फर्म को कृषक हिस्सा राशि का भुगतान किया जायेगा तथा अनुदान भुगतान हेतु उद्यान आयुक्तालय को पोर्टल पर ऑनलाईन ही प्रस्तुत करेगा।
4. भौतिक सत्यापन हेतु कमेटी द्वारा निर्धारित प्रारूप– 3 में Joint Commissioning Report (JCR) अपलोड की जावेगी जिस पर भौतिक सत्यापनकर्ता अधिकारी, कृषक तथा फर्म प्रतिनिधि के हस्ताक्षरशुदा Joint Commissioning Report (JCR) अपलोड की जावेगी।

14. सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता के सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापना से सम्बन्धित दायित्वः–

1. आपूर्तिकर्ता फर्म जिस श्रेणी के लिए सूचीबद्ध है उस हेतु सौर पम्प संयंत्र की डिजाइन, आपूर्ति, परिवहन, इरेक्शन, अर्थिंग का कार्य, लाइटिंग अरेस्टर, स्थापना, रिमोट मोनिटरिंग सिस्टम, रखरखाव, इन्श्योरेंस सहित योजना के दिशा–निर्देश, निविदा की



(दानवीर वर्मा)
उप निदेशक उद्यान (मुख्यालय)
आयुक्तालय, जयपुर

शर्तें, लेटर ऑफ अवार्ड एवं योजना के तय मापदण्ड अनुसार ही सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापना का सम्पूर्ण कार्य सम्पादित किया जायेगा।

2. सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता के अधिकृत तकनीकी प्रतिनिधि द्वारा तकनीकी सर्वे आवंटन के अधिकतम 15 दिवस में कृषक के खेत में स्थित जलस्त्रोत का विस्तृत सर्वे किया जाकर संयंत्र स्थापना की राजकिसान साथी पोर्टल के मोबाईल एप्प पर तकनीकी सर्वे कर आवश्यक पम्प क्षमता व प्रकार का निर्धारण किया जावेगा।
3. आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा आपूर्तित मॉडयुल/पेनल नेम प्लेट आदि निर्धारित मापदण्ड व स्टेण्डर्डस् की होगी तथा इस पर "PM-KUSUM" अंकित होना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा एलओए की शर्तो के अनुसार 3/5 प्रतिशत राशि की सीपीजी राजस्थान होर्टिकल्चर डवलपमेंट सोसायटी (RHDS) मे जमा किया जाना सुनिश्चित करेगी।
5. आपूर्तिकर्ता द्वारा कृषक को संयंत्र संचालन एवं रखरखाव का मैन्यूअल प्रदान किया जायेगा एवं संयंत्र के समग्र बिन्दुओं पर कृषक प्रशिक्षण भी आयोजित किया जायेगा।
6. डिजाईन के अनुसार सिविल कार्य सम्पन्न कराया जावेगा।
7. आपूर्तिकर्ता द्वारा सौर ऊर्जा आधारित पम्प परियोजना के मॉडयूल माउंटिग ढांचे की डिजाईन निविदा शर्तों के अनुसार होगा।
8. आपूर्तिकर्ता फर्मस् योजना के दिशा–निर्देश, निविदा की शर्तो एवं लेटर ऑफ अवार्ड की पालना करते हुए केवल स्वदेशी निर्मित सौर पैनल/मोड्युल जो कि स्वदेशी सैल से निर्मित हो तथा मोटर–पम्प, कन्ट्रोलर एवं संयंत्र की अन्य सामग्री भी स्वदेशी निर्मित हो, का ही उपयोग सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापना मे करेगे, उल्लंघन की स्थिति मे आपूर्तिकर्ता फर्मस् के विरूद्व नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल मे लायी जावेगी।
9. सौर ऊर्जा पम्प सयंत्र स्थापना से पूर्व सम्बन्धित कम्पनी द्वारा कृषक के पानी के जल स्तर/उपलब्धता का निर्धारण अपने विशेषज्ञ से करवाकर यह सुनिश्चित करेगी की किस क्षमता का पम्प सैट लगाया जावें, पम्प का चुनाव/स्थापन उपरान्त निर्धारित मात्रा में पानी का डिस्चार्ज नही होने पर कम्पनी की जिम्मेदारी होगी।
10. आपूर्तिकर्ता प्रत्येक आपूर्ति किये जाने वाले मॉड्यूल/पेनल का IV-Curve DHDS को प्रस्तुत करेगा।
11. सूचीबद्व आपूर्तिकर्ता द्वारा स्थापित किये जाने वाले संयंत्र में या साथ रिमोट मोनिटरिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से स्थापित किया जायेगा।
12. आपूर्तित माल का पूर्ण विवरण राजकिसान साथी पोर्टल पर उपलब्ध कराना होगा।
13. सूचीबद्व आपूर्तिकर्ता द्वारा आयुक्तालय स्तर के दल से प्री–डिस्पेंच निरीक्षण करवाया जाना अनिवार्य होगा।
14. सूचीबद्व आपूर्तिकर्ता द्वारा प्री–डिस्पेंच निरीक्षण के लिये 07 कार्य दिवस पूर्व आयुक्तालय को सूचित करना होगा व MNRE के नवीनतम दिशा–निर्देशानुसार, एलओए व निविदा की शर्तो के अनुसार सौर ऊर्जा पम्प सयंत्रों के आपूर्ति किये जाने वाले सामग्री से सम्बन्धित सभी टेस्ट–रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

15. Outsourcing किए गये सामान के स्त्रोत की स्पष्ट जानकारी सूचीबद्व आपूर्तिकर्ता द्वारा दी जायेगी।
16. सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापना के सम्बन्ध मे पैनल्टी/एलडी निविदा की शर्तो व एलओए के अनुसार होगी।
17. आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा संयंत्र की स्थापना से पांच वर्ष की गारण्टी/वारण्टी तथा इसके पश्चात् आगामी पांच वर्ष हेतु विक्रय पश्चात् शुल्क लेकर सेवा (After sales service) प्रदान की जावेगी।
18. सूचीबद्व आपूर्तिकर्ता/फर्म द्वारा कृषक के खेत पर स्थापित सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र का बीमा करवाया जायेगा। आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा बीमा से सम्बन्धित प्रकिया में देरी होने की स्थिति में स्वंय अपने स्तर पर कृषक की समस्या का समाधान 7 दिवस में अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त की असफलता पर योजना के दिशा–निर्देश, निविदा की शर्तो व एलओए के अनुसार आवश्यक कार्यवाही अमल मे लायी जावेगी।
19. संयंत्र संचालन व रखरखाव सम्बन्धी साहित्य पुस्तिका (मैन्युअल) जो कि कृषक सुलभ हिन्दी भाषा मे हो, लाभार्थियों को प्रदान की जावेगी।
20. संयत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा निविदा की शर्तो के अनुसार कस्टमर केयर सेन्टर/सर्विस सेंटर स्थापित किया जावेगा तथा टोल फ्री नबंर की जानकारी प्रत्येक स्टेक होल्डर को उपलब्ध करानी होगी।
21. विगत् वर्षो के साथ–साथ चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्थापित प्रत्येक जिले में सर्विस सेन्टर स्थापित किया जाना आवश्यक होगा। उक्त केन्द्र पर सभी व्यवस्थायें निविदा की शर्तो अनुसार की जावेगी। सर्विस सेन्टर से सम्बन्धित सभी आवश्यक तकनीकी जानकारियॉ, दूरभाष, मेल, टोल फ्री नम्बर व उत्तरदायी व्यक्ति की जानकारी इत्यादि सहित सूचना जिला उद्यान कार्यालय, उद्यान आयुक्तालय तथा कृषकों को उपलब्ध करानी होगी।
22. कार्यदायी फर्म द्वारा योजना की प्रगति–रिपोर्ट प्रत्येक माह एवं तिमाही के दौरान उद्यान विभाग को ऑनलाईन उपलब्ध करवानी होगी।
23. कार्यदायी फर्म द्वारा स्थापित संयंत्रो का प्रत्येक तिमाही (अप्रैल–जुन, जुलाई–सितम्बर, अक्टूबर–दिसम्बर व जनवरी–मार्च) के दौरान निरीक्षण करना होगा।
24. कार्यदायी फर्म द्वारा कृषकों को रखरखाव (मेन्टीनेंस) व योजना सम्बन्धी जानकारी प्रदान की जावेगी।
25. कार्यदायी फर्मस के स्तर से रखरखाव सम्बन्धी Clauses की गम्भीरता से पालना सुनिश्चित की जावेगी। जिससे लाभार्थियों को संयंत्र मे किसी प्रकार के फाल्ट की स्थिति मे इधर–उधर चक्कर न काटना पडें।
26. किसी प्रकार के फाल्ट की सूचना डाक, टेलीफोन, फैक्स, ई–मेल या अन्य तरीके से प्राप्त होने की स्थिति में तीन कार्य दिवसों मे आवश्यक रूप से साईट भ्रमण आदि जरिये से इस पर कार्यवाही की जावेगी।

(... शर्मा)

27. कार्यदायी फर्म से अपेक्षा की जाती है कि वह समुचित मात्रा मे स्पेयर पार्ट का स्टॉक सर्विस सेन्टर्स पर रखे जिससे की संयंत्र शिकायत के 3 दिवस मे आवश्यक रूप से पुनः चालू किया जा सकें।
28. आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा स्थापित सौर उर्जा पम्प संयंत्र योजना के दिशा–निर्देश, निविदा की शर्तो, एलओए तथा अनुबन्ध के अनुरूप नही पाये जाने पर अनुदान राशि नियमानुसार वसूली योग्य होगी तथा गलत तथ्य प्रस्तुत करने के लिए आपूर्तिकर्ता फर्म को काली सूची मे डाला जा सकेगा। जिसके निर्णय का अंतिम अधिकार आयुक्त उद्यानिकी को होगा।
29. संयंत्रो के रखरखाव कार्य के विफलता की स्थिति में पैनल्टी/एलडी, निविदा की शर्तो व एलओए के अनुसार फर्म की बैंक गारण्टी रिवोक कर वसूल की जा सकेगी तथा पॉच या इससे अधिक संयंत्रो के रखरखाव की विफलता पर फर्म को काली सूची मे डाले जाने की कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके निर्णय का अंतिम अधिकार आयुक्त उद्यानिकी को होगा।
30. आपूर्तिकर्ता फर्म सौर उर्जा पम्प संयंत्र स्थापना हेतु योजना के दिशा–निर्देश, निविदा की शर्ते, एलओए अनुसार आवश्यक सम्पूर्ण कार्य तथा उद्यान विभाग द्वारा प्रदत्त संयंत्र स्थापना सम्बन्धित अन्य आवश्यक विर्निदिष्ट कार्य सम्पादित करेगा।
31. अनुबंधित फर्मस् द्वारा पीएम कुसुम सेन्ट्रल पोर्टल व स्टेट पोर्टल पर जीवन्त मॉनिटरिंग हेतु आरएमएस इन्टीग्रेशन किया जाना व अन्य सूचनायें फर्म द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

**15. कृषक के दायित्व**

1. कृषक द्वारा राजकिसान साथी पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज के साथ ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। उद्यान विभाग के जांच में कमी होने पर कृषक को ऑनलाईन वापस भेजी गई पत्रावली में लगाये गये आक्षेप की अधिकतम 30 दिवस में पूर्ति कर पुनः अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। प्रशासनिक स्वीकृति उपरांत अधिकतम 30 दिवस में कृषक हिस्सा राशि ऑनलाईन/डिमान्ड ड्राफ्ट (डी0डी0) द्वारा जमा करवाना होगा।
2. कृषक द्वारा सोर पम्प संयंत्र हेतु आवेदन उपरांत आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा कृषक के खेत व जल स्त्रोत की सर्वे–रिपोर्ट अनुसार कम या ज्यादा क्षमता का पम्प संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया जाता है तथा योजना मे कृषक की पात्रता उपयुक्त होने एव सहमति पर तद्नुसार सौर पम्प संयंत्र स्थापित किया जा सकेगा।
3. संयंत्र की माल आपूर्ति एवं स्थापना हेतु स्थल (छाया रहित कम से कम 60 वर्ग.मी.) एवं जल स्त्रोत उपलब्ध करवाना।
4. माल–आपूर्ति की प्राप्ति व संयंत्र स्थापना की पूर्णता तथा भौतिक सत्यापन व निरीक्षण यथासम्भव स्वयं लाभार्थी की उपस्थिति मे किया जावेगा।
5. संयंत्र का बीमा कार्यदायी फर्म द्वारा करवाया जायेगा। सौलर पम्प सयंत्र के उचित रख– रखाव एवं सुरक्षा की समस्त जिम्मेदारी कृषक की होगी।



(दानबीर वर्मा)

6. स्थापित सौर पम्प संयंत्र का संचालन कृषक द्वारा विद्युत/बिजली कनेक्शन से नही किया जावेगा, पाये जाने की स्थिति में कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
7. कृषक द्वारा संयंत्र के खुर्द–बुर्द करने की स्थिति में सम्बन्धित कृषक के विरूद नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल मे लायी जावेगी तथा संयंत्र हेतु जारी की गई अनुदान राशि वसूली योग्य होगी।
8. त्रि–पार्टी अनुबन्ध।
9. कृषक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों/शपथ पत्रों मे दी गई जानकारी के लिए स्वंय उत्तरदायी होगा। कृषक द्वारा गलत सूचना /शपथ पत्र देकर अनुदान प्राप्त करने की स्थिति मे अनुदान राशि नियमानुसार वसूली योग्य होगी।

**16. योजना की रिमोट मॉनिटरिंग –**

योजना की मॉनिटरिंग हेतु एमएनआरई द्वारा जारी दिशा–निर्देश तथा निविदा की शर्तो के अनुसार सूचीबद्व आपूर्तिकर्ता द्वारा संयंत्र स्थापना के साथ रिमोट मोनेटरिंग सिस्टम आवश्यक रूप से स्थापित करना होगा।

1. रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम सौर उर्जा पम्प स्थापना का आवश्यक भाग होगा व उक्त के अभाव मे सूचीबद्व आपूर्तिकर्ता फर्म को भुगतान देय नही होगा।
2. अनुबंधित फर्मस् द्वारा पीएम कुसुम सेन्ट्रल पोर्टल व स्टेट पोर्टल पर जीवन्त मॉनिटरिंग हेतु रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम इन्टीग्रेशन कार्य किया जाना व अन्य सूचनायें फर्म द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
3. फर्म द्वारा रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम हेतु मोबाईल नम्बर को पांच वर्ष तक आवश्यक रूप से रिचार्ज कराना होगा।

**17. सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र वांरटी मरम्मत एवं मरम्मत नही किये जाने पर शास्ति प्रावधानः–**

सौर ऊर्जा पम्प संयंत्रों के खराब होने पर मरम्मत एवं रखरखाव के सम्बन्ध में पालना सुनिश्चित करावें:–

1. एम्पेनल्ड फर्मस् द्वारा स्थापित सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र पर पांच वर्ष निःशुल्क मरम्मत एवं रखरखाव स्थानीय स्तर पर कराया जावेगा।
2. पम्प खराब होने पर सम्बन्धित फर्म द्वारा शिकायत प्राप्त होने के अधिकतम तीन दिवस में पम्प संयंत्र को सुचारू रूप से दुरस्त कराया जावेगा।
3. एम्पेनल्ड फर्मस् द्वारा हिन्दी भाषा में सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र की रखरखाव सम्बन्धित सूचना का फोल्डर कृषक को उपलब्ध कराया जावेगा।
4. सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र खराब होने पर किसान द्वारा फर्म के टोल फ्री नम्बर पर शिकायत करने की दिनांक या उद्यान कार्यालय द्वारा शिकायत सम्बन्धित फर्म को भेजने की दिनांक जो भी पहले हो, के तीन दिवस में यदि सम्बन्धित फर्म द्वारा पम्प संयंत्र ठीक नही किया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(दानबीर वर्मा)
उप निदेशक उद्यान (मुख्यालय)
...कार्यालय, जयपुर

संलग्नक–1

## विद्युत कनेक्शन विहिन कृषक हेतु भू–स्वामित्व मे जल–स्त्रोत अंकित होने पर देय शपथ पत्र

मैं कृषक श्री/श्रीमति/सुश्री ......................................पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री.......................................... जाति .................... निवासी.......................................... शपथ पूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि :–

1. मेरे भू–स्वामित्व (रकबा .............. है0) के खसरा न0 ............................ ग्राम ..................... पटवार हल्का ...................... में सिंचाई स्त्रोत (कुऑ/नलकूप इत्यादि) ............................ दर्ज/अंकित है।
2. यह जल स्त्रोत सिंचाई योग्य है तथा वर्तमान में सिंचाई डीजल चलित सिंचाई संयंत्र द्वारा की जा रही है।
3. उक्त जल स्त्रोत में कृषि विद्युत कनेक्शन नही है।
4. कृषक/उद्यानिकी की नवीनतम तकनीकी अपनाकर खेत की जा रही है।

**कृषक हस्ताक्षर**

**कृषक का नाम**
**पता : ग्राम :** .........................
**पंचायत समिति :** .........................
**तहसील::** .........................
**जिला :** ...........................
**मोबाईल नम्बर** ........................

**प्रमाणित**

**कृषि पर्यवेक्षक/पटवारी**

## प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान कम्पोनेंट– बी
## सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापना हेतु त्रि–पार्टी अनुबंध

*(500 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉप पर)*

***प्रपत्र***

*(कृषक द्वारा वहन किया जावें)*

***त्रि–पार्टी अनुबंध***

अनुबंध डीड का क्रियान्वयन आज दिनांक .......................... वर्ष ................, स्थान........................., जिला......................, को डी. एच.डी.एस.......................(प्रतिनिधि श्री ........................................ ), कृषक श्री/श्रीमती.......................................................पुत्र/पत्नि/पुत्री ......................................, गॉव................................तहसील..........................जिला.............................. राजस्थान एवं सोलर पम्प सेट कार्यदायी फर्म मैसर्स ........................................(प्रतिनिधि श्री ........................................... ), के बीच सम्पन्न किया गया जिसमे निम्न शर्ते सबंधित पार्टी द्वारा स्वीकार की जाती है।

1. कृषक अनुदान पर सोलर पम्प संयंत्र लगाने का इच्छुक है तथा उसके द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये गये हैं। संयंत्र की सामग्री/स्थापना पर देय अनुदान भुगतान मय कृषक हिस्सा राशि आपूर्तिकर्ता फर्म को करने के लिये कृषक सहमत है।
2. संयत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा कृषक की मॉग पर खेत का सम्पूर्ण सर्वेक्षण, जिओ–टेगिंग तथा स्थापित किये जाने वाले संयंत्र की रूप–रेखा (डिजाईन) योजना के दिशा–निर्देशानुसार, निविदा की शर्तो के अनुसार तैयार की जावेगी। कृषक की आवश्यकता तथा रूप–रेखा (डिजाईन) के आधार पर आपूर्तिकर्ता द्वारा लागत अनुमान तैयार किये गये है। डिजाईन में किसी भी तरह की तकनीकी खामी (Over/Under design) के लिये आपूर्तिकर्ता जिम्मेदार होगा।
3. कृषक वांछित क्षेत्र जिस पर सोलर पम्प स्थापित किया जाना है, निश्चित समयावधि मे पूर्ण/तैयार करने हेतु सहमत हैं।
4. जीएसटी की दरें परिवर्तित होने पर तद्नुसार कृषक हिस्सा जमा कराने के लिए कृषक सहमत है।
5. संयंत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा कोटेशन/प्रफोर्मा इनवाईस प्रस्तुत करने, त्रिपक्षीय अनुबंध सम्पन्न होने एवं नोटिस टू प्रोसिड (कार्यादेश) जारी होने पर एवं संयंत्र स्थापना पर डी.एच.डी.एस./आर.एच.डी.एस. द्वारा दिशा–निर्देशानुसार कृषक हिस्सा राशि का भुगतान किया जावेगा।
6. सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापना हेतु नोटिस टू प्रोसिड (कार्यादेश) जारी होने के पश्चात फर्म/पम्प श्रेणी में किसी तरह का बदलाव नही किया जावेगा।



(दानबीर वर्मा)
उप निदेशक उद्यान (मुख्यालय)
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

7. कृषक आपूर्तिकर्ता/फर्म को सामान रखने के लिए यथोचित स्थान उपलब्ध करायेगा एवं कृषक द्वारा स्थापित सौर पम्प संयंत्र का संचालन विद्युत/बिजली कनेक्शन द्वारा नही किया जायेगा।
8. सोलर पम्प संयंत्र कार्यदायी फर्म द्वारा 120 दिवस की समयावधि में सोलर पम्प सेट की सामान–आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य पूर्ण करना होगा। उक्त निर्धारित अवधि में सामग्री आपूर्ति कर स्थापना कार्य पम्प संयंत्र स्थापना कार्य सम्पन्न नही करने पर सम्बन्धित सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता फर्म पर नियमानुसार शास्ति कटौती की जावेगी।
9. अनुमोदित फर्म द्वारा सोलर पम्प सेट स्थापित होने पर राजकिसान साथी पोर्टल पर पम्प से संबंधित सूचना अपलोड की जावेगी जिससे कि जिला होर्टिकल्चर डवलपमेंट सोसायटी (डीएचडीएस) 7 दिवस में संयंत्र का भौतिक सत्यापन कर सके।
10. सोलर पम्प सेट स्थापना हेतु अधिकृत फर्म भौतिक सत्यापन और प्रयोगिक परीक्षण जिला उद्यान कार्यालय द्वारा निर्धारित भौतिक सत्यापन कमेटी से करायेगी एवं संतोषजनक कार्य प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही भुगतान देय होगा।
11. डीएचडीएस द्वारा भौतिक सत्यापन एवं प्रयोगिक परीक्षण के दौरान कृषक अपनी संतुष्टी के लिये वहां उपस्थित रहेगा।
12. भौतिक सत्यापन एवं प्रायोगिक परीक्षण के उपरांत सोलर पम्प संयंत्र कार्यदायी फर्म सोलर पम्प सेट कृषक को सुपुर्दगी कर देगा उसके लिये कृषक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्राप्ती रसीद देनी होगी।
13. सोलर पम्प सेट लगने के 10 वर्ष की अवधि तक कृषक उसमें बदलाव, हटाना या किसी का बेचना व खुर्द–बुर्द नहीं करेगा। यदि ऐसा किया गया तो देय अनुदान वसूली योग्य होगा।
14. सौलर पम्प संयंत्र का पांच वर्ष की अवधि का बीमा सम्बन्धित सूचीबद्व आपूर्तिकर्ता स्तर से कराया जावेगा। कृषक सूचीबद्व आपूर्तिकर्ता के पक्ष मे संयंत्र से सम्बन्धित बीमा क्लेम प्राप्त करने के लिए सहमत है। आपूर्तिकर्ता फर्म को बिना किसी देरी के 7 दिवस मे संयंत्र को चालू करना होगा।
15. सौलर पम्प संयंत्र की सुरक्षा एवं संरक्षा सम्बन्धित कृषक द्वारा की जावेगी। संयंत्र के सौर पैनल या अन्य अवयव चोरी होने की स्थिति मे लाभार्थी कृषक द्वारा अविलम्ब विभाग/आपूर्तिकर्ता फर्म को सूचित करते हुए संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करानी होगी।
16. डीएचडीएस या सोलर पम्प सेट कार्यदायी फर्म कृषक की त्रुटि से संयंत्र के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।
17. कार्यदायी फर्म द्वारा संयंत्र स्थापना से पांच वर्ष की गारण्टी/वारण्टी एवं इसके पश्चात् आगामी पांच वर्ष तक विक्रय पश्चात् शुल्क लेकर सेवा प्रदान की जावेगी।
18. कार्यदायी फर्म के अनुबन्धित समयावधि में सोलर पम्प संयंत्र मे कोई बनावट संबंधी विकार या बनाते समय रही अन्य कमी एवं तय तकनीकी मापदण्डो अनुसार नही होने पर संयंत्र के कलपूर्जों/भाग को निःशुल्क बदलना होगा।



(दानबीर वर्मा)
उप निदेशक उद्यान (मुख्यालय)
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

19. सोलर पम्प संयंत्र कार्यदायी फर्म को रिपेयर/बदलने हेतु 3 दिवस का समय दिया जायेगा। इस कार्य हेतु लिखित में किसान की ओर से शिकायत/प्रार्थना जिला उद्यान कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। सामान बदलने का कार्य 3 दिवस में करना होगा ताकि कार्य पर कोई विपरीत असर नहीं पड़े।
20. सोलर पम्प सेट कार्यदायी फर्म कृषक के संयंत्र लगाने का रेखांकन (ले–आउट) कार्य उपलब्ध करायेगा, एवं रख रखाव संबंधी तकनीकी जानकारी का साहित्य भी उपलब्ध कराया जावेगा।
21. सोलर पम्प स्थापित करने वाली फर्म द्वारा प्रशिक्षण आयोजन की व्यवस्था की जावेगी, वर्ष में कुल 2 प्रशिक्षण कार्य होगें।
22. सौर ऊर्जा पम्प 3/5/7.5/10 एचपी तक के संयंत्रो पर ही अनुदान देय होगा।
23. कार्यदायी फर्म इन्शोरेन्स, त्रि–पाटी अनुबन्ध एवं बिल की छाया प्रति इत्यादि कृषक को देने के लिए सहमत है।

एच.डी.एस प्रतिनिधि ..........................

सौलर पम्प कार्यदायी फर्म प्रतिनिधि ..........................

कृषक ..........................

गवाह ..........................

# Joint Commissioning Report for Physical verification (JCR)

प्रमाणित किया जाता है कि पीएम कुसुम योजना कम्पोनेंट– बी सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र परियोजना के तहत कृषक श्री/ श्रीमती ............................................................ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...................................... ग्राम ...................................... पं. सं./तहसील ................................ जिला ................................. के खेत पर हमारे द्वारा आज दिनांक ............................ को सोलर पम्प संयंत्र का भौतिक सत्यापन किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

1. आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम :– ........................................
2. स्थापित सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र का विवरण :–

| | |
|---|---|
| पम्प क्षमता– 3/5/7.5/10 एचपी | |
| पम्प का प्रकार– सरफेस/सबमर्सिबल | |
| ऊर्जा पम्प श्रेणी– एसी/डीसी | |
| कन्ट्रोलर का प्रकार– सामान्य/यूएसपीसी | |

3. कृषक द्वारा अपनाई गई सूक्ष्म सिचांईः– ड्रिप/स्प्रिकंलर/मिनी स्प्रिकंलर/ग्रीन हाउस/अन्य ......................................
4. कृषक द्वारा अपनायी जाने वाली उद्यानिकी गतिविधियांः– ....................................
5. सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र को चलाकर प्रायोगिक परीक्षण किया गया तथा कृषक संतुष्ट हैंः– हॉ/नहीं
6. अन्य कोई महत्वपूर्ण बिन्दु जो मौका निरीक्षण के दौरान देखा गया हैः– .......................... ................................................................................................................................

**हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता :–**

**कृषक** **फर्म प्रतिनिधि** **उद्यानिकी/कृषि विभाग का अधिकारी**

(दानवीर वर्मा)
उप निदेशक उद्यान (मुख्यालय)
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर